

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) लूणकरणसर

निर्णय

मिसल नम्बर - 12/2019

दिनांक- 07/11/2019

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शिवपुरी में रिपोर्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सम्बन्ध 2015 में गैर सायल श्री 227/214 पुत्र श्री श्री 227/214 जाति गिर साकिन शिवपुरी ने ग्राम शिवपुरी के ख0नं0 130 रकब 0.018 में नाजायज श्री 227/214 कर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी श्री 227/214 को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जांच किया गया जो कि बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबन्धित गैर सायल शिवपुरी इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषप्रद नहीं होने के कारण गैर सायल श्री श्री 227/214 पुत्र श्री श्री 227/214 जाति गिर साकिन शिवपुरी को ग्राम शिवपुरी के ख0नं0 130 रकब 0.018 में श्री 227/214 में अतिचार करने पर राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू-राजस्व दर 0.018 का 50 गुणा 0.1/- रूपये शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखली करने के आदेश दिये जाते हैं।

बेदखली बाबत संबन्धित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान दसूली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ..... को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

3  
तहसीलदार (राजस्व)  
लूणकरणसर